अध्याय - प्रथम

अध्याय - प्रथम
शोध विषय का परिचय

1.1	प्रस्तावना
	1.1.1. शिक्षा के अधिकार के उद्देश्य
	1.1.2 शिक्षा के अधिकार अधिनियम
1.2	अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व
1.3	समस्या कथन
1.4	समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा
1.5	उद्देश्य
1.6	परिकल्पनाएँ
1.7	अध्ययन का सीमांकन

अध्याय – प्रथम

1.1 प्रस्तावना :–

"मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामजस्य पूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है।"

– पेस्टालॉजी

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में योग्य नागरिक बनाया जाता है और यह कार्य मनुष्य के जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। विद्यालय में उसकी शिक्षा बड़े सुनियोजित ढंग से चलती है। विद्यालय में साथ–साथ उसे परिवार एवं समुदाय में भी कुछ न कुछ सिखाया जाता रहता है। सीखने–सिखाने का यह क्रम विद्यालय छोड़ने के बाद भी चलता रहता है।

हमारे देश में शिक्षा की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल में "आश्रम एवं गुरूकूल उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। जहाँ छात्रों को निश्चित समय तक अध्ययन करना पड़ता था। बौद्ध काल में अनेक 'मठो' एवं 'बिहारो' में उच्च शिक्षा कि अत्यंत सुन्दर व्यवस्था थी। इस काल में नालन्दा, तक्षशिला और विक्रमशिला के समान अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनेक विश्व विद्यालय थे जहाँ सुंदर देशो के छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे।

आधुनिक भारत में दिखाई देने वाली उच्च शिक्षा की व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा की नवीन व्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ और हमारे देश में उनकी वर्तमान स्थिति क्या हैं। यही हमें आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास एवं समस्याओं का समिक्षात्मक अध्ययन में दिखाई पड़ेगा। भारत में उच्च शिक्षा का विकास करने का लक्ष्य सिर्फ छात्रों को नौकरी देना ही नहीं बल्कि सभी प्रकार का विकास करना था। शिक्षा से छात्रों का केवल मानसिक और शारीरिक से छात्रों का केवल सामाजिक और शारीरिक विकास ही नही वरन् भावात्मक, सामाजिक, व्यवसायिक और मनोवैज्ञानिक विकास करना है।

हमारे देश व सभी प्रगतिशील देशों में ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। शिक्षा का लक्ष्य नवीन ज्ञान की खोज एवं विकास करना है। शिक्षा के द्वारा सत्य की खोज के लिए निर्भय होकर कार्य करना समाज को कृषि, कला, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अन्य व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना है। उच्च शिक्ष आयोग की कल्पना सिर्फ किताबों में ही लिखी है। इसका वास्तविक जीवन में कितना इस्तेमाल हो पा रहा है यही सब बातों का अध्ययन है।

स्वतंत्रता के बाद जीवन के हर क्षेत्र में लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि इस तरह कि कार्य प्रणाली से हमें हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। हमारा जीवन स्तर ऊँचा होता जा रहा है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसके बारे में लोग कहते है कि इसका स्तर गिर रहा है कि जब जीवन के हर क्षेत्र का स्तर ऊँचा हो रहा है तो शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है। वो कौन सी समस्याएँ है जो भारत में शिक्षा को बढ़ने से रोक रही है। इस प्रश्न का ठोस आधार पर उत्तर देने की आवश्यकता है।

15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की इस समय भारत सरकार का पहला कर्तव्य देश में राजनैतिक स्थिरता कायम करना था। इसके साथ ही शिक्षा पद्धति पर पुनः विचार करना था। शिक्षा के विकास में पुरानी पद्धति ने नवीन शिक्षा प्रणाली की स्थापना में आधार का कार्य किया। इसलिये स्वतंत्र भार में शिक्षा के पुन निर्माण के आधारभुत उद्देश्यों को संविधान की प्रस्तावना में ही दिया गया है और यह निश्चित किया गया कि समाजवाद और शीघ्र उद्योगीकरण हमारा राष्ट्रीय ध्येय है।

शिक्षा द्वारा किस प्रकार प्रजातंत्र की रक्षा की जा सकती है, इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये–

14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाये और बिना जाति, धर्म, वर्ग, स्थिति का भेदभाव किये सब बच्चों की शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। निरक्षरता का उन्मूलन किया जाए और

प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक विकास का अवसर मिलना चाहिए।

माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार करके व्यक्ति के वैज्ञानिक विचार तथा दृष्टिकोण का विकास किया जाए। व्यक्तियों मे सहिष्णुता, जनहित, समाज सेवा और आत्म–निर्भरता, जनहित, समाज सेवा और आत्म–निर्भरता के गुणों का विकास किया जाये।

"राष्ट्रीय चेतना के साथ–साथ देश के प्रति लगाव की भावना के विकास के लिए, आयोग ने ऐसे पाठ्यक्रम को अपनाने का सुझाव दिया है जिससे सभी स्तरों पर गतिशीलता तथा लचिलापन दोनों ही हो।"

आयोग के अनुसार सभी धर्म, वर्ग, जाति के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिलने चाहिए, जिससे की पिछड़े वर्ग के (अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग) बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि ___

"प्रजातंत्र का मूल सार है कि सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। यह स्पष्ट है कि इस समानता का कोई अर्थ नही जब तक की उनको अपनी अन्तरनिहित क्षमता के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं है यदि प्रजातंत्र को वास्तव में प्रभावशाली बनाना है और प्रत्येक व्यक्ति को सम्पूर्ण विकास की गारंटी देनी है तो शिक्षा को निःशुल्क और व्यापक बनाना होगा।"

शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत वर्ग और पिछड़े वर्ग में बहुत ही असमानता है। इसके कारण ही भारत की आबादी का बहुत बड़ा भाग शिक्षा से वंचित है शैक्षिक असमानता को दूर करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये।

1. निःशुल्क शिक्षा दी जाये।
2. पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जाये।
3. उचित छात्र वृत्तियों की व्यवस्था हों

राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार शैक्षिक अवसरों की असमानता दूर करने का विशेष प्रयास करें।

"राज्य ऐसी रीति से, जैसा की विधि बनाकर निर्धारित करे, छः वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा।"

भारत का संविधान अनु. 21 क

संविधान में उपवर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह अभिकथन है कि राज्य चौहद वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अतः केन्द्र सरकार ने छः वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संविधान में छियासीवे (86) संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा प्रावधान नया अनुच्छेद 21 क जोड़कर किया था। साथ ही अनुच्छेद 45 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि "राज्य छः वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा।"

उक्त संविधान के 86 से संशोधन अधिनियम, 2002 के पालन में छः वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" बनाया और 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावशील किया है। यह अधिनियम विशेषकर सुविधारही समूहों और कमजोर वर्गो के उन बच्चों के लिए जो किन्हीं कारणों से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते है, लाभप्रद होगा।

1.1.1. शिक्षा के अधिकार के उद्देश्यः-

1. प्राथमिक शिक्षा संबंधित उद्देश्य-

सभी व्यक्तियों को समान अवसर के उपबंध के माध्यम से लोकतंत्र के सामाजिक ढ़ाचे की मजबूत करने के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को हमारे गणतंत्र के प्रारंभ से ही स्वीकार किया गया है। हमारे संविधान में उपवर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में यह अभिकथन है कि राज्य चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पिछले

कुछ वर्षा में देश में प्राथमिक विद्यालयों के स्थानिक और संख्या में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है, फिर भी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य से हमें प्रवचित करता रहता है। ऐसे बालकों की संख्या, विशेषकर सुविधा रहित समूहों और कमजोर वर्गो के, जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व विद्यालय छोड़ देते है, काफी रहती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे बालकों जो प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेते है, की दशा में भी विद्या संबंधी उपलब्धियों की गुणवत्ता सदैव पूर्णतया संतोषप्रद नहीं रहती है।

2. मूल अधिकार संबंधित उद्देश्यः-

संविधान (छियासीवां संशोधन) 86 अधिनियम, 2002 द्वारा यथा अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 क, छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु समूह के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक ऐसे मूल अधिकार के रूप में उपबंधित करता है, जो ऐसी नीति में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे राज्य विधि द्वारा अवधारित करे।

3. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य :-

परिणामतः बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2008 को अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो निम्नलिखित उपबंध करने के लिए है :-

(i) प्रत्येक बालक को किसी ऐसे औपचारिक विद्यालय से जो कतिपय अनिवार्य सन्नियमों और मानको का समाधान करता है, संतोषप्रद और साम्यापूर्ण गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का अधिकार है।

(ii) 'अनिवार्य शिक्षा' समुचित सरकार पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसके लिए प्रवेश, उपस्थिति और उसके पूर्ण होने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अधिरोपित करती है।

(iii) 'निःशुल्क शिक्षा' से यह अभिप्रेत है कि ऐसे किसी बालक से भिन्न, जिस उसके माता-पिता द्वारा किसी ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया है जो समुचित सरकार द्वारा समर्थित नही है, कोई बालक किसी भी प्रकार की फीस या प्रभारी या व्ययों का दायी नही होगा, जो उसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरी करने से निर्धारित करें।

(iv)निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने में समुचित सरकारी, स्थानीय, प्राधिकारियों, माता-पिता, विद्यालयों और अध्यापको के कर्तव्य और

(v) बालकों के अधिकार की संरक्षा के लिए एक प्रणाली और एक विकेन्द्रीकृत शिकायत समाधान तंत्र।

4. समानता, समता संबंधित उद्देश्य :-

प्रस्तावित विधान को इस विश्वास के आधार पर तैयार किया गया है कि समता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्य तथा एक न्याय संगत और मानवीय समाज का सृजन केवल सभी व्यक्तियों के लिए समावेशी प्राथमिक शिक्षा के उपबंध के माध्यम से ही संभव है। अतः सुविधारहित तथा कमजोर वर्गो के बालको को संतोषप्रद गुणवत्ता की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध केवल समुचित सरकारों द्वारा चलाए जा रहे या समर्थित विद्यालयों का ही उत्तरदायित्तव नहीं है, अपितु ऐसे विद्यालयों का भी उत्तरादायित्व है जो सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं है।

5. अतः यह समीचीन और आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छे 21क में यथा परिकल्पित एक उचित विधान अधिनियमित किया जाए।

6. यह विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए है।

7.

1.1.2 शिक्षा का अधिकार अधिनियम :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

(i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है।

(ii) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत भर में होगा।

(iii)छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

2. परिभाषाएँ

(i) **समुचित सरकार –**

केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा जिसकी कोई विधान सभा नहीं है, स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय सरकार से है।

किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार होगी।

(ii) **प्रारंभिक शिक्षा –**

पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है।

(iii) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग –

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है।

(iv) माता–पिता –

किसी बालक का प्राकृतिक या सैनिला या दत्तधु पिता या माता अभिप्रेत है।

(v) बालक –

छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है।

(vi) विद्यालय –

प्राथमिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इनमें निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैः–

(A) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थातिप, उसके स्वामीत्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय से है।

(B) समुचित या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायता प्राप्त विद्यालय है।

(C) विशिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय और समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति के लिए किसी

प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर सहायता प्राप्त विद्यालय है।

(vii) "स्थानीय प्राधिकारी"

कोई नगर निगम या नगर परिषद या मगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और इसमें विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन शसक्त ऐसा अन्य प्राधिकारी या निकाय सम्मिलित है।

3. प्रवेश न दिए गए बालकों के लिए विशेष प्रयास :–

जहाँ, छः वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नही दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है पर उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नही की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

परंतु जहाँ किसी बालक को, उसकी आयु के अनुसार किसी कक्षा में प्रत्यक्षतः प्रवेश दिया जाता है, वहाँ उसे अन्य बालकों के समान, रहने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी समय–सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रविष्ट किया गया कोई बालक, चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा।

4. अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार :–

(i) जहाँ किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहाँ किसी बालक को किसी अन्य विद्यालय में, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखण्ड में विशिष्ट विद्यालय को अपवर्जित करते हुए अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

(ii) जहाँ किसी बालक के किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहाँ ऐसे बालक को किसी अन्य विद्यालय में, धारा 2 के खंड के उपखण्ड मे

विशिष्ट विद्यालय को अपवर्जित करते हुए अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

(iii)ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रधान अध्यापक या विद्यालय का भार साधक, जहाँ ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था, तुरंत स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी कराया जाएगा।

परंतु स्थानांतरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में विलंब, ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए विलंब या प्रवेश से इंकार करेन के लिए आधार नहीं होगा। परंतु यह और की विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भार साधक, स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने में विलंब के लिए उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

5. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और सेवा के निबंधन और शर्तेः–

(i) कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अकादमिक प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ है, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(ii) जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएँ नहीं है, न्यूनतम अर्हताएँ रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है वहाँ केन्द्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं की पांच वर्ष से अनाधिक की ऐसी अपाधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना के सम्मिलित की जाए। परंतु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा (1) के अधीन अधिकर्थित न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेगा।

(iii)शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के निबंधन और शर्ते वे होगी जो विहित की जाए।

6. शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना :–

(i) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होगा।

(अ) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करना।

(ब) धारा 29 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।

(स) विशिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना।

(द) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारिण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो जोड़ना।

(च) माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठके करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना।

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाए।

(ii) विशिष्ट कर्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला कोई शिक्षक उसे लागू सेवा नियमों के अधीन आनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे शिक्षक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(iii) शिक्षक की शिकायतों को, यदि कोई हो, ऐसी रीति में दूर किया जाएगा, जो विहित की जाए।

1.2 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :–

भारत एक सम्प्रभुत्ता सम्पन्न गणराज्य देश है। प्रजातंत्र में लोग अपनी इच्छानुसार अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने है यह सभी सम्भव है वे पढे लिखे हो स्वतंत्र रूप से सोच सकते हो तथा अच्छे बुरे का न्याय कर सकते तो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा की बहुत आवश्यकता थी। भारत में शिक्षा हर स्तर पर बढ़ रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा की :–

"आजकल देश में शिक्षा का प्रचार तेजी से हो रहा है, शिक्षा प्रचार के साथ कुछ समस्यायें भी है जो दशे में उभरी है वह है शैक्षिक स्तर, शैक्षिक बेकारी, वित्तीय समस्या आदि।"

शिक्षा ही छात्र के भावों एवं विचारों को प्रोत्साहन देने का अभिव्यक्ति का सहज स्वाभाविक साधन है

वह शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई स्वतः विकसित होती जाती है।

शिक्षा के कारण ही जीवन के प्रति एंव मातृभूमि के प्रति एक स्वच्छ दृष्टिकोण का गठन होता है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शिक्षा का मानवी जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है यह निम्नलिखित मुद्दों से अधिक स्पष्ट होता है।

(i) सभी के लिए शिक्षा –

सभी के लिए शिक्षा का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे मुख्यतः इसमें दो प्रकार के वर्ग आते है।

(अ) छः वर्ष से चौदह वर्ष तक आयु वाले बच्चे

(ब) प्रोढ़ जिनकी आयु पधरा वर्ष से पैत्तीस वर्ष के बीच है।

शिक्षा अर्थ केवल व्यक्ति को साक्षर ही नहीं है। अपितु उसमें आधारभूत नागरिकों के गुणों का निर्माण करना है।

शिक्षा का जीवन में अनन्त महत्व है, इससे सुखद तथा संतुलित जीवन व्यतीत करने की दिशा मिलती है। विवेक शक्ति का विकास होता है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है जीने की कला में प्रशिक्षण मिलता है। आय बढ़ती है, जीवन स्तर ऊँचा उठता है।

(ii)शिक्षा अपूर्व धन –

न ता नशन्ति न दभति तस्करो
नासाममित्रों व्यधिरो दधर्षति।
देवाश्य याभिर्यजते ददाति च।
ज्योगिताभिः सचते गोपतिः सह।।

विधाएँ कभी नष्ट नही होती है, ये अनश्वर धन है। विघा धन को तस्कर चुरा नहीं सकते, दुःखदायी शत्रु भी इसका तिरस्कार नहीं कर सकते। विघा

धन वह धन है जिसके द्वारा देव यज्ञादि पञ्चयज्ञ किये जाते है और जिसका दान सर्वोत्तम है तथा इन्द्रियों के स्वामी जीवात्मा गोपति का निरंतर इस विद्या के साथ संबंध रहता है, अर्थात् मरने पर जीवात्मा के साथ केवल विद्या–धन ही जाता है, अन्य ऐश्वर्य यही रह जाते है।

(iii) मन की शुद्धता शिक्षा द्वारा –

अद्भिर्गात्राणि शुदृध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति।
विद्या तपोभ्या भूताम्या बुद्धिज्ञानेन शुद्ध्यति।।

जल से शरीर की शुद्धि होती है मन सत्य से शुद्ध होता है, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है।

(iv) शिक्षा सबसे उत्तम मित्र –

विद्या मित्र प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेष च।
व्याधितस्यौवध मित्र धर्या मित्र मृतस्थ च।।

चा.

विदेशों में विद्या मनुष्य का सच्चा मित्र होता है। घर में शील गुण युक्त नारी मनुष्य की वास्तविक मित्र होती है। रोगी के लिए औषध मित्र होता है और मरे हुए मनुष्य का मित्र उसका धर्म होता है।

(v) शिक्षा से जीवन की सार्थकता –

शुनः पुच्छमिव व्यर्थ जीवित विद्या विना।
न गृहागोपने शक्त न च दशनिवारणे।।

चा.

जैसे कुते की पूँछ न तो गुप्तेन्द्रिये को ढाँपने में ही समर्थ है और न नही मच्छर आदि को उड़ाने में। इसी प्रकार विद्याहीन व्यक्ति का जीना व्यर्थ होता है।

(vi) शिक्षा से प्रसिद्धि –

विद्या ख्यापिता ख्याति।
विद्या से शीघ्र ख्याति मिश जाती है।

चा. सू.

(vii) शिक्षा से सभी कामनाओं की पूर्ति –

विद्या से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से तत्व का दर्शन होता है और तत्व का दर्शन कर होने के पश्चात् मनुष्य विनीतचित होकर समस्त पुरूषार्थ का भाजन हो जाता है।

उपसंहार : एक समय था जब ज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में भारत को 'जगत गुरू' माना जाता था। उस समय भारत आर्थिक दृष्टि से भी सम्पन्न था। 'सोने की चिड़िया' माना जाता था। आज जब हम संसार के विकासशील तथा विकसित देशों की तुलना करते है तो हम पाते है की विकसित देशों के विकास तथा समृद्धि का कारण वहाँ का शिक्षा स्तर है। विकसित देशों में लगभग शत्–प्रतिशत साक्षरता तो है साथ ही इन देशों ने साथ ही इन देशों ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिक में भी बहुत उन्नति की है।

शिक्षा से ही भाव एवं विचार उण्दित एव उद्भव होने है। अतः स्वयं चितन उद्भावन एवं कल्पना की कल्पकता ही शिक्षा है भावात्मक विकास का सर्वात्तम साधन शिक्षा है। हमारी एकात्मक वृत्तियों का उन्नयन और परिष्करण शिक्षा इस साहित्य द्वारा जितना संभव है, अन्य किसी साहित्य द्वारा नही शिक्षा के द्वारा छात्र की सर्जना शक्ति का विकास नैसर्गिक रूप में होता है शिक्षा का विकास नैसर्गिक रूप के होता है सौंदर्य बोधक एवं सौंदर्य प्रियता शिक्षा के साहित्य द्वारा विकसित होती है। हमारी बुद्धि की कुशाग्रता और प्रखरता बढ़ती है। सामाजिक रचना एवं सामाजिक किया कलापों की दृष्टी से शिक्षा अधिक व्यावहारिक एवं सुगम साधन है और इसी के द्वारा समुदाय बना रहता है। सांस्कृतिक जीवन के उत्कर्ष की दृष्टी शिक्षा का विशेष महत्व है।

1.3 समस्या का कथनः–

''शिक्षा के अधिकार के प्रति शिक्षक पालक एवं विद्यार्थियों की जागरूकता तथा उनके दृष्टीकोण का अध्ययन''

14. समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दो की परिभाषा

शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता :-

ब्लुम ने (1956) जागरूकता को बोधात्मक एवं गुणात्मक का प्रथम सोपान बताया है। यहाँ अधिगमकर्त्ता किसी एक तत्व या उद्दीपक के अस्तित्व से संवेदनशील रहता है। ज्ञान की तरह यह सिर्फ प्रायाभारण से ही संबंधित नहीं है। ब्लुम ने बताया है कि अवसर मिलने पर अधिगमकर्त्ता भी घटना के बारे में चेतना पाता है।

परंतु इस अध्ययन में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता की व्याख्या सरोज पांडे के शिक्षकों की मानवाधिकार जागरूकता परीक्षण की सहायता से की गई है इसके अनुसार जिसके प्राप्तांक (Score) ज्यादा है। उसको शिक्षा के अधिकार के प्रति अधिक जागरूकता कहा गया है। जिसके प्राप्तांक कम है उसकी शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता कम है।

1.4 उद्देश्य :-

1. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापाकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।
4. ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में अंतर ज्ञात करना।
5. अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।
6. अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में अंतर ज्ञात करना।
7. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।

8. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में अंतर ज्ञात करना।
9. अध्यापकों तथा पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।
10. अध्यापकों तथा पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में अंतर ज्ञात करना।
11. ग्रामीण एवं शहरी पालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।
12. ग्रामीण एवं शहरी पालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में अंतर ज्ञात करना।

1.6 परिकल्पनाएँ :-

1. अध्यापक तथा अध्यापिकाओं में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. अध्यापक तथा अध्यापिकाओं में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7. अध्यापकों एवं पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
8. अध्यापकों एवं पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
9. ग्रामीण एवं शहरी पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

10. ग्रामीण एवं शहरी पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

1.7 सीमांकन :–

1. प्रस्तुत अध्ययन महराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के वरूड तहसील के प्राथमिक विद्यालय तक सीमित है।
2. इस अध्ययन में शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को ही शामिल किया गया है।
3. इस अध्ययन में प्राथमिक विद्यालयों के 100 अध्यापकों का तथा पालकों का चयन किया है। जिनमें 50 अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 50 अध्यापक शहरी क्षेत्र से है और 50 पालक ग्रामीण तथा 50 पालक शहरी क्षेत्र के है।
4. इस अध्ययन में अध्यापक एवं अध्यापिका दोनों का ही चयन किया है।